सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/SER-689/MCIT/17/2022-SSW (RU-I) **दिनांक: 02.06.2025**

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत संचार निगम लिमिटेड,
जनपथ, नई दिल्ली-110001
ईमेल -:cmdbsnl@bsnl.co.in

विषय: सीएसएस कैडर के उपप्रबंधक पद पर कार्यरत अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की 2015-16 की एक बैक लॉग सहित दो विभागीय परीक्षा कोटा की रिक्त पदो को भरने के संबंध में श्री ललन साह एवं अन्य का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 07.05.2025 को दोपहर पूर्व** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में होने वाली सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **15 दिन के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
उप-निदेशक/Deputy Director
E-Mail: rk.dubey@ncst.nic.in

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री ललन साह,
बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस,
नई दिल्ली-110001
ई-मेल: lalansah01@gmail.com

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(F. No. NCST/SER-689/MCIT/17/2022-SSW)

दिनांक 07.05.2025 को श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, एनसीएसटी, नई दिल्ली की अध्यक्षता में श्री ललन साह और अन्य, उप प्रबंधक, बीएसएनएल, नई दिल्ली की याचिका पर आयोजित बैठक का कार्यवृत्त, "2015-16 से 2021 तक सीमित आंतरिक प्रतियोगी परीक्षा (एलआईसीई) में देरी के कारण सीएसएस संवर्ग में अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को न भरने" के संबंध में।

बैठक की तिथि : 07/05/2025 दोपहर पूर्व
बैठक में भाग लेने वाले : अनुलग्नक के अनुसार।

1. दिनांक **06.11.2023 एवं 18.01.2024** को हुई बैठक की कार्यवाही के अनुसरण में आयोग ने दिनांक **13.02.2024 के पत्र संख्या NCST/SER-689/MCIT/ 17/2022-SSW के माध्यम से BSNL** को सिफारिश की थी कि वर्तमान में उप-प्रबंधक पद की पदोन्नति के लिए होने वाली विभागीय परीक्षा की जारी अधिसूचना में वर्ष 2015-16 की रिक्त उप-प्रबंधक की अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए एक बैकलॉग पद को शामिल किया जाए। उसे योग्य अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार द्वारा भरा जाए तथा BSNL द्वारा जारी आदेश की प्रति 15 दिनों के भीतर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रस्तुत की जाए।

2. चर्चा के दौरान प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों की जाँच में आयोग ने यह भी पाया है कि मामला बीएसएनएल के सीएसएस अनुभाग द्वारा वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018 एवं 2019 में लगातार पाँच वर्षों तक उप-प्रबंधक (अनुभाग अधिकारी) के भर्ती नियम में उल्लंघन के कारण बना है।

3. याचिकाकर्ता श्री ललन साह ने आयोग को चर्चा के दौरान बताया कि वे नियमित उप-प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं और बीएसएनएल प्रबंधन ने आयोग के दिनांक 13.02.2024 को जारी कार्यवाही के अनुपालन में उन्हें रिक्त वर्ष 2015-16 के लिए अनुसूचित जनजाति की एक बैकलॉग रिक्त पद को भरने के लिए विभागीय परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। विभागीय परीक्षा के पहले पेपर में 200 में से 98 अंक और दूसरे पेपर में 200 में से 62 अंक कुल 400 में से 160 (40%) अंक श्री ललन साह को प्राप्त हुए । परीक्षा परिणाम की जानकारी याचिकाकर्ता को आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुई थी। चर्चा में आये इस तथ्य की स्वीकृति बैठक में उपस्थित बीएसएनएल प्रबंधन के अधिकारियों ने भी की है।

4. अतः बीएसएनएल एससी/एसटी परीक्षा परिणाम समीक्षा नीति के नियमानुसार याचिकाकर्ता श्री ललन साह को उतीर्ण घोषित कर वर्ष 2015-16 की अनुसूचित जनजाति के लिए बैकलॉग की रिक्त एक उप-प्रबंधक पद पर उनकी पदोन्नति पुनः निर्धारित करें।

5. दिनांक 07.05.2025 को हुई सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों के अवलोकन से आयोग के समक्ष यह तथ्य भी प्रकट हुआ है कि आयोग की बैठक **दिनांक 13.02.2024** की विस्तृत चर्चा एवं चर्चा के पश्चात की गई अनुशंसा के अनुसार याचिकाकर्ता श्री ललन साह, जो पूर्व से ही नियमित उप-प्रबंधक के पद पर सेवारत हैं एवं विभागीय परीक्षा कोटे के अंतर्गत वर्ष 2015-16 की बैकलॉग अनुसूचित जनजाति के एक रिक्त पद के लिए सभी सेवा लाभ के साथ पदोन्नति प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

6. चर्चा में आयोग ने यह भी पाया कि इस मामले का संज्ञान **अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण से संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने भी लिया है** उन्होंने जाँच के दौरान पाया की इस मामले में **बीएसएनएल के सीएसएस अनुभाग से प्रशासनिक त्रुटि हुई है एवं अपनी अनुशंसा में** याचिकाकर्ता श्री ललन साह, उप-प्रबंधक को विभागीय परीक्षा कोटा की अनुसूचित जनजाति के लिए वर्ष 2015-16 के रिक्त एक पद पर सेवा लाभ प्रदान करते हुए पदोन्नति प्रदान करने की अनुशंसा भी की है।

समस्त चर्चाओं के पश्चात निदेशक (मानव संसाधन) बीएसएनएल ने आयोग के समक्ष आवेदक श्री ललन साह की पदोन्नति के संबंध में निम्नलिखित अनुशंसा को पालन करने पर सहमति व्यक्त की :-

(i) श्री ललन साह, उप-प्रबंधक को रिक्ति वर्ष 2015-16 के लिए अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग एक रिक्त पद के लिए बीएसएनएल की अनुसूचित जनजाति रिव्यु पालिसी के तहत उतीर्ण घोषित कर सेवाओं के सभी लाभ प्रदान करते हुए दिनांक 01.07.2015 से उप-प्रबंधक के पद पर पदस्थापित करने का आदेश पारित करेंगे एवं आयोग की बैठक दिनांक 13.02.2024 को दिए गए सुझाव के परिपालन में कार्यवाही करेंगे।

(ii) याचिकाकर्ता श्री ललन साह को पूर्व में पदोन्नति को लेकर विभागीय त्रुटि के कारण आर्थिक एवं मानसिक रुप से परेशानी का सामना करना पड़ा है। बीएसएनएल प्रबंधन आगामी समय पर पदोन्नति एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में भर्ती नियमों का सावधानी से पालन करेगा।

उपरोक्त सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रुप से सुचित करें।

27-5-025

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं. NCST/SER-689/MCIT/17/2022-SSW (RU-I) दिनांक: 07.05.2025

विषय: सीएसएस कैडर के उपप्रबंधक पद पर कार्यरत अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की 2015-16 की एक बैक लॉग सहित दो विभागीय परीक्षा कोटा की रिक्त पदो को भरने के संबंध में -ललन साह) उपप्रबंधक, BSNL) एव अन्य के अभ्यावेदन में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 07.05.2025 को दोपहर पूर्व आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	**श्री अंतर सिंह आर्य**	**माननीय अध्यक्ष**	**अध्यक्षता**	
2.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
3.	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		
4.				
5.				

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)
जनपथ, नई दिल्ली

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	कल्याण सागर निप्पाणी	निदेशक मानव संसाधन	9449996999	[signature]
2.	राजीव कुमार कौशिक	अप्र० म० प्र० (कार्मिक)	9868218111	रा. कु. कौ.
3.	राजेन्द्र कुमार	Sr.-G.M. ALLO	9434077437	[signature]
4.	रणवीर सिंह	DGM(L&A)	94120000884	[signature]

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	ललन साह	उपप्रबंधक	9868265539	[signature]
2.	अशोक कुमार	महानिरीक्षक आई टी बी पी	8638464347	[signature]
3				
4				